राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः राजपत्रित/सामान्य/2025/156 दिनांकः 24.03.2025

1. **समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राजस्थान।**
2. **समस्त अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।**
3. **समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।**
4. **समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।**
5. **समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।**
6. **समस्त संबंधित नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान।**

विषयः– विगत 5 वर्षो में भर्ती राज्यकर्मियों की जांच के संबंध में।

सन्दर्भः– उप महानिरीक्षक पुलिस, स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप, राजस्थान जयपुर के पत्रांक 3130 दिनांक 18.07.2024 एवं 3955 दिनांक 30.08.2024 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्रों (प्रति संलग्न) की पालना में लेख है कि प्रमुख शासन सचिव महोदय, कार्मिक (क–5/भर्ती प्रकोष्ठ) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 06.06.2024 (प्रति संलग्न) को निम्नलिखित निर्देश प्रदान किये गये हैः–

"राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि विगत 5 वर्षों में विभिन्न विभागों में की गई भर्तियों में फर्जी शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज प्रस्तुत कर एवं डैमी कैंडिडेट को परिक्षा में बैठाकर कपितय अभ्यार्थियों द्वारा सरकारी नौंकरिया प्राप्त की गई है। अतः प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए प्रत्येक विभाग के द्वारा विगत 5 वर्षों में भर्ती किये गये कर्मचारियों के संदर्भ में आन्तरिक कमेटी गठित कर यह जांच कर ले की परीक्षा देने वाला एवं नौकरी करने वाला लोकसेवक दोनों एक ही व्यक्ति है। साथ ही भर्ती किये गये कर्मचारियों के शैक्षणिक पात्रता के दस्तावेज एवं ओवदन के समय प्रस्तुत आवेदन पत्र, फोटो, हस्ताक्षर इत्यादि की भली–भांति जांच करवाई जाए। जांच के उपरान्त जिन कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में सूचनाऐं संदिग्ध प्रकट हो, उनकी सूचना एसओजी को उपलब्ध करायी जायें।'

अतः आपके अधीन विगत 5 वर्षों में राजपत्रित संवर्ग की, की गई भर्ती में नियुक्ति आदेश क्रमांक 44 दिनांक 25.03.2020, 124 दिनांक 17.12.2020, 18 दिनांक 02.03.2023 एवं 19 दिनांक 21.12.2024 को चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के शैक्षणिक/व्यावसायिक योग्यता एवं संबंधित आवश्यक दस्तावेजों की जांच हेतु अपने स्तर पर आन्तरिक कमेटी गठित की संलग्न प्रपत्र में सूचना अतिशीघ्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः राजपत्रित/सामान्य/2025/156 दिनांकः 24.03.2025

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एनएचएम, मुख्यालय।
4. निजी सचिव, आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं निदेशक (राजमेस), राज0 जयपुर।
5. उप महानिरीक्षक पुलिस, स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप, राज0 जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2,3) विभाग, राज0 जयपुर।
7. परियोजना निदेशक, एनएचएम, मुख्यालय।
8. निदेशक, आरसीएच/शिफू, जयपुर।
9. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र आज ही विभागीय वैबसाईट पर अपलोड एवं संबंधित को ई–मेल करावें।
10. रक्षित/निजी पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

क्रम संख्या	राज्य कार्मिक का नाम	राज्य कार्मिक के पिता का नाम	पदनाम	मोबाईल नम्बर	राज्य कार्मिक का स्थायी निवास (पूर्ण पता)	विज्ञप्ति जिसके क्रम में कार्मिक को नियुक्ति प्रदान की गई है (क्रमांक व दिनांक)	प्रथम नियुक्ति तिथि	प्रथम पदस्थापन स्थान (जहां कार्मिक द्वारा नियमित राज्यसेवा में प्रथम बार कार्यग्रहण किया गया है)	प्रथम पदस्थापन के दौरान कार्मिक के दस्तावेजों का सत्यापन किया गया (हॉं/नहीं)	प्रथम पदस्थापन के दौरान कार्मिक द्वारा पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया (हॉं/नहीं)	वर्तमान पदस्थापन स्थान	ऐम्पलाय आईडी	नियुक्ति आदेश में वर्णित कार्मिक व नियुक्त व्यक्ति एक ही है (हॉं/नहीं)	फर्जी/कूटरचित पाये गये दस्तावेज का विवरण (यदि कोई दस्तावेज फर्जी/कूटरचित नहीं पाया जाता है तो "नहीं" अंकित करें)	विवरण
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															